न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 496 दर्ज तिथिः–17.07.2025

1. भागीरथराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी

..................वादी

बनाम

1. नेनाराम उर्फ कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम
2. सोनाराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम
3. ऐलसी पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
4. पालु पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
5. रूखमण पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
6. बुधी पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी।

..................असल प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है –
   - कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक आराजी खसरा संख्या 161 / 1 / 1.8373 है0, 166 / 3 / 3.1889 है0, 1299 / 166 / 0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12 / 4 / 0.2266 है0, 12 / 6 / 2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है एवं हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्व पुरूष प्रतापाराम है। वादी एवं प्रतिवादी का वंशवृक्ष सजरा निम्नानुसार है:—

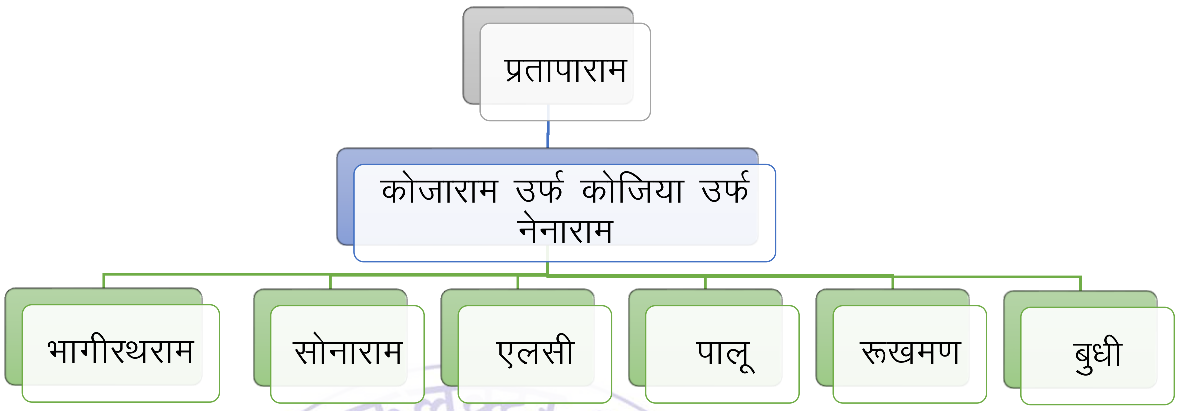

- कि मुतनाजा आराजी का बंदोबस्त के दौरान पर्चा लगान पुर्वपुरूष प्रतापाराम के नाम जारी हुआ था। वादी के दादा प्रतापाराम के फौत होने पर नामान्तरण वादी के पिता प्रतिवादी सं. 01 कोजाराम के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त मुतनाजा पैतृक व पुश्तैनी होने से वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 01 कोजाराम को पैतृक रूप से प्राप्त हुई। जिसका वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के पिता कोजाराम के नाम दर्ज है।
- कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी वादीगण जन्म से ही अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र, पौत्र, पौत्री का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिगी अथवा पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाते है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप—6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प. 5(1)राजस्व 6 / 97 / 18 दिनांक 18.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि विभागीर परिपत्र 08 / 09 / 1997 द्वारा पुत्र—पुत्री को अपने पिता व माता की पैतृक संपत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र या पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है एवं खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया जा सकता है।
- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 161 / 1 / 1.8373 है0, 166 / 3 / 3.1889 है0, 1299 / 166 / 0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12 / 4 / 0.2266 है0, 12 / 6 / 2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में वादी अपने 1 / 7 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी सं. 01 किसी अजनबी व्यक्ति के बहकावे में आकर मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी सं. 01 अपने मकसद में सफल हो गए तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

में किया जाना असंभव है। इसलिए प्रतिवादी को मौके की यथास्थिति बनाए रखने एवं वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने तथा मुतनाजा आराजी का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बाद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवाए गए।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
खतौनी बंदोबस्त	खतौनी बंदोबस्त ग्राम गुडाखास	प्रदर्श–01
जमाबंदी	जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 103 मौजा मौखावा	प्रदर्श–02
जमाबंदी	जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 191 मौजा मौखावा	प्रदर्श–03
जमाबंदी	जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 22 मौजा मौखावा	प्रदर्श–04

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भागीरथराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम	विश्नोई	मौखावा	पी0डब्ल्यू–1

5. प्रकरण में भागीरथराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम पी.डब्ल्यू.–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक आराजी खसरा संख्या 161/1/1.8373 है0, 166/3/3.1889 है0, 1299/166/0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12/4/0.2266 है0, 12/6/2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है एवं हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्व पुरूष प्रतापाराम है।
- कि मुतनाजा आराजी का बंदोबस्त के दौरान पर्चा लगान पुर्वपुरूष प्रतापाराम के नाम जारी हुआ था। वादी के दादा प्रतापाराम के फौत होने पर नामान्तरण वादी के पिता प्रतिवादी सं. 01 कोजाराम के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त मुतनाजा पैतृक व पुश्तैनी होने से वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 01 कोजाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

को पैतृक रूप से प्राप्त हुई। जिसका वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के पिता कोजाराम के नाम दर्ज है।

- कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी वादीगण जन्म से ही अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र, पौत्र, पौत्री का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिगी अथवा पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाते है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प. 5(1)राजस्व 6/97/18 दिनांक 18.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि विभागीर परिपत्र 08/09/1997 द्वारा पुत्र–पुत्री को अपने पिता व माता की पैतृक संपत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र या पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है एवं खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया जा सकता है।
- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 161/1/1.8373 है0, 166/3/3.1889 है0, 1299/166/0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12/4/0.2266 है0, 12/6/2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में वादी अपने 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी सं. 01 किसी अजनबी व्यक्ति के बहकावे में आकर मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी सं. 01 अपने मकसद में सफल हो गए तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में किया जाना असंभव है। इसलिए प्रतिवादी को मौके की यथास्थिति बनाए रखने एवं वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने तथा मुतनाजा आराजी का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।
- जिसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा संख्या 3 में उल्लेखित दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित करवाए।

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने वादी साक्ष्य से प्रतिवादी जिरह एकतरफा। तत्पश्चात पत्रावली बहस में नियत की गई।

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण हिस्सा 1/7–1/7 का खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

8. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैंः–
    1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी में से वादीगण को हिस्सा 1/7 का सहखातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

2. वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

9. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार हैः—

1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी में से वादीगण को हिस्सा 1/7 का सहखातेदार घोषित किया जावे।

10. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.*
>
> *(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.*
> *(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

7. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—
(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;
(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;
(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम—1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श—01 खतौनी बंदोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के पिता प्रतापाराम की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में भागीरथराम, कोजाराम उर्फ नेनाराम के जायंदा पुत्र होना साबित है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है।

9. प्रकरण में वादीगण द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के तहत वादी प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संतान है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक आराजी खसरा संख्या 161 / 1 / 1.8373 है0, 166 / 3 / 3.1889 है0, 1299 / 166 / 0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12 / 4 / 0.2266 है0, 12 / 6 / 2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बहिस्सा बराबर 1 / 7–1 / 7 खातेदारी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. प्रकरण में वादीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का वाद बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ–साथ मुतनाजा आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 161/1/1.8373 है0, 166/3/3.1889 है0, 1299/166/0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12/4/0.2266 है0, 12/6/2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में मुताबिक हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/7–1/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 496 दर्ज तिथिः–17.07.2025

1. भागीरथराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी

..................वादी

बनाम

1. नेनाराम उर्फ कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम
2. सोनाराम पुत्र नेनाराम उर्फ कोजाराम
3. ऐलसी पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
4. पालु पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
5. रूखमण पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
6. बुधी पुत्री नेनाराम उर्फ कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी।

..................असल प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण का वाद बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ–साथ मुतनाजा आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 161/1/1.8373 है0, 166/3/3.1889 है0, 1299/166/0.9874 है0 ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 12/4/0.2266 है0, 12/6/2.9137 है0 मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में मुताबिक हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/7–1/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:47 IST
Reason: SelfAttested